

2018/12

कृषि विभाग द्वारा जारी कृषि पत्रिका में सद्यः जारी गरीब  
कृषक सहायता के लिए कृषक को 1000 रुपये प्रति  
हजार हेक्टेयर धारा 212(1)(a) के अन्तर्गत  
निर्धारित कृषि सहायता 1978 धारा 2 की धारा 3  
अनुसार, अर्थात् 1014 रुपये प्रति हेक्टेयर वार्षिक  
कृषि सहायता प्रदान करने पर कृषक को सहायता




तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
अहम  
हुक्म  
में ज

कलें हेतु निवेदन किया गया। निवेदन पर  
न्यायालय द्वारा पूर्व दिनांक 30.5.2022 को  
मुफ्त निषेधाज्ञा जारी की। अदालत पर पताचानी पर  
उपलब्ध सफाह (साफेजो) के इकतिलान के आधार  
निषेधाज्ञा को रद्द करने किया गया। उचित महसूस हो  
कर आदेश दिनांक 30.5.2022 को पूर्व में जारी  
साबिक आदेश दिनांक 30.5.2022 को मूल अदालत  
के निम्नांक तक रद्द करने किया जाता है। साबिक  
केंद्रीय अदालत कोप्य नम्बर के साथ हेतु मूल अदालत  
के द्वारा हेतु ली आदेश मुफ्त रद्द।

  
सुपरीकर अधिकारी  
कोरीला (राजग)